IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 8, March 2026
Impact Factor: 8.2

“fQjkst 'kkg rqxyd dh dj iz.kkyh dk v/;;u”

Mkk- vpZuk iVsy
lgk;d izk/;kid bfrgkl foHkkx
ifUV;e lokbZV VsfDudy dkWyst jhok e-iz-

'kks/k lkjka'k &

डॉ0 इष्वर टोपा की पुस्तक हिन्दु मुसलमानों हुक्मरानों के सियासी वसूल के इतिहास में फिरोजषाही दौर के शीर्षक अन्तर्गत फिरोंज के सैध्दांतिक दृष्टिकोण तथा इसका क्रियान्वयन आदि के संबंध में प्रकाष डाला है। डॉ0 ईष्वर टोपा ने फिरोज शाह के सैध्दांतिक के संबंध में बताया है कि फिरोज शाह की साही ने एक नई राह अपनाई और अपने राज्य जोर जबरजस्ती के कानून को मानवता के कानून में बदला। फिरोज के इस दृष्टिकोण तथा क्रियाओं का ये परिणाम निकला की लोग उकसो अपना रक्षक समझेन लगे। यद्यदि फिरोज शाह की हुकूमत इस्लामिक सिंध्दातों से भरपूर थी। किन्तु जनता–जनार्दन की भलाई और उकसा कल्याण करना सबसे बडा कर्तव्य था। इस सिध्दांत के अन्तर्गतगत उसने समस्त अनुचित बेजा कानून जिसके अन्तर्गत जनता मर रही थी समाप्त किये। समस्त वे वस्तुएॅ जो सरियत के विरोध किसी भी जीवन के क्षेत्र में राज्य को नजर आती थी दूर की। इस समस्त इस्लामी आन्दोलन में जिस भावना ने फिरोज साही की शाही को जीवित किया वो कल्याणकारी तथा हितकारी का सिध्दांत था।

izLrkouk &

राज्य और व्यवस्था के दृष्टिकोण से हुकूमत को बहुत से माली नुस्कान उठाने पडे क्यूकि इस्मामी दृष्टिकोण से मुल्क में बहुत से इस्लामी टैक्स लिये जाते रहें उनको फिरोजश्शाह ने शक्ति से समाप्त कर दिया। केवल वही टैक्स रखे गये जो इस्लामी शरियत के कानून के अनुसार थे इस प्रकार फिरोज तुगलक की हुकूमत की समूचित और जायज आमदनी के स्त्रोत केवल 4 माने गये थे। अर्थात 1. खिराज 2. जजिया 3. जकात 4. खम्स। डॉ. ईष्वर टोपा ने अपने लेख में बताया है कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में बहुत ही गलत फेहमी और मिथ्या विचार प्रचलित है इसी कारण उन्होने इन चारो आमदनी के स्त्रोतों के स्वरूप को विस्तार से स्पष्ट करने की आवष्यकता महसूस की और बताया की खिराज वास्तव में यह एक महसूल था जो कृषि योग्य धरती के मालिक से चाहे वो मुसलमान हो

अथवा गैर मुसलमान हो राज्य उससे टैक्स लेती थी यहॉं जमीन की पैदावार का 1ध्10 भाग होता था। जजिया इसके सम्बन्ध में बहुत मिथ्या विचार और गलतफहमी प्रचलित हुई हैं इसके अर्थ को समझने की हमारे इस इतिहासकार ने परम आवश्यकता समझी है। ष्जजिया को लब्ज (शब्द)

गजईदह से निकला हैं गजईदह वास्तव में एक प्रकार से एक पोल टैक्स (बरबरदारी) था। यहॉं तक की ईरानियों ने भी मोसोपोटामिया की विजय के पश्चात् इस टैक्स को असली रूप में रखा। फारसी की प्राचीन पुस्तकों में भी लब्ज गजईदह आता है। फिरदौसी शाहीनामा में भी इस शब्द को प्रयोग करता है। इब्न असीर ने लिखा हैं कि ईरान के बादशाह नवशेखा ने अपने देश की जमीन की नपाई करवाई और प्रत्येक पर जजिया टैक्स लगाया केवल फौजी और सरकारी अधिकारियों को छोड़कर

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 8, March 2026
Impact Factor: 8.2

आगे चलकर डॉ. टोपा ने इस्लामी ऐतिहासिक पुस्तक में जजिया को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त बताया हैं और बताया है कि कुरान में जजिया के सम्बन्ध में केवल एक ही आयात मिलती हैं। (आयात 19 सूरे 9) इस्लामी कर्तव्य के अनुसार जजिया ने दो विशेष परिस्थितियाँ निर्मित की हैं। प्रारम्भ में जजिया का अर्थ वास्तव में सामूहिक टैक्स जो विजित क्षेत्र पर लागू किया जाता था समझा जाता हैं अरबों ने इस्लाम के प्रारम्भिक काल में ये तरीका अपनाया था कि जब वो देश विजय करते थे तो देश की व्यवस्था देशवासियों के हाथ में रखते थे और उससे जो मालगुजारी वसूल होती थी उसे जजिया (मानी) कल्पित की जाती थी। यही एक वास्तविकता है। जहाँ प्रारम्भिक इतिहास में जजिया और खिराज में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था। यहाँ तक कि खिराज वहशीयत जजिया के और जजिया वहशीयत मालगुजारी के ऐसी शब्दावली थी जो समान अर्थी मानी जाती थी। जर्मन का प्रसिद्ध इस्लामी इतिहासकार का संदर्भ देते हुए डॉ. टोपा ने बताया हैं कि उसने लिखा है कि जजिया और खिराज प्रारम्भ में एक समान समझे ही नहीं गये वरन् विजित क्षेत्रों से जो खिराज वसूल किया गया वो यहाँ तो जमीन से जजिया था या इंसान से खिराज उपर्युक्त जजिया और खिराज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण और परिवर्तन करते हुए डॉ. टोपा ने बताया हैं कि इस्लाम के द्वितीय खलीफा हजरत उमर ने अपने काल में इस बात का निर्णय किया कि खिराज और जजिया में एक महान अन्तर है और ये निर्णय हुआ कि जजिया इंसान पर लगता है और वो केवल गैर

मुस्लिम पर ही लगेगा। इसके विपरीत खिराज जमीन से लिया जाता हैं और मानव का अपमान इससे नहीं होता खिराज उस मुसलमान से भी लिया जाता हैं जिसके पास धरती हो।

डॉ. टोपा ने उपर्युक्त तथ्य और सत्य का उद्घाटन करने के पश्चात लिखा है कि इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जजिया प्रारम्भ से एक पोल टैक्स न था। इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी केटवानी अपनी पुस्तक श्ऑन्ली दि इस्लामश में लिखता हैं कि जजिया का स्पष्टीकरण वहशीयत एक इंसानी टैक्स के वास्तव में नवीन सोच हैं जो बाद के काजियों के हाथों पैदा की गयी जो वास्तव में इस्लाम के प्रारम्भिक युग के वास्तविक दशा से बिल्कुल भिन्न था। मिस्र शहदत (साक्ष्य) सन् 80 हिजरी से 90 हिजरी के आधार पर ये सिद्ध होता है कि जजिया केवल फौज के वेतन देने के लिए लिया जाता था। इस प्रकार जजिया वास्तव में एक सुरक्षा हेतु रकम थी। जो इस्लामी शासन गैर मुसलमानों से वसूल करता था ताकि उनकी सुरक्षा और सभ्यता और संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को दबाने (दमन) किये बिना कर सकें। दूसरे शब्दों में जिम्मियत का पद जिम्मियों को निम्नलिखित अधिकार देता है। कष्ट से सुरक्षित रखना सुरक्षा प्रथम अधिकार से वो अमीन कल्पित किये जाते हैं और दूसरे से वो महरूज (सुरक्षित) समझे जाते हैं। जिम्मियत के रूप में जिम्मी को अधिकार हैं कि वो सरकारी नौकरी कर सके और उसको इस बात की स्वीकृत हैं कि वो अपने सामाजिक, धार्मिक रीति–रिवाज और त्यौहार बना सके। उनके मंदिरों की सुरक्षा इस्लाम का कानून करता हैं। इस प्रकार इस्लामी हुकूमत जिम्मियों की सुरक्षा और उनकी रक्षा का जिम्मा लेती है।

इस्लामी लश्कर और फौज पर ये धार्मिक कर्तव्य माना गया है कि वो युद्ध और मुसीबत के समय जिम्मियों को बचाये। वास्तव में जजिया एक सुरक्षात्मक टैक्स समझा जाता हैं और जिससे ये समझा जाता है कि मुसलमानों के रक्त की कुर्बानी जिम्मियों की राह मेंसमय और स्थिति पर आवश्यक हैं। इस्लामी मुल्कों के ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि जजिया इस्लामी हुकूमत में उस समय वापस लौटा देते थे जबकि वो जिम्मियों की सुरक्षा करने में असमर्थ रही। इस्लामी कानून और नियम के अनुसार जिम्मी फौजों में सम्मिलित हो सकते हैं यद्यपि वो मजबूर नहीं किये जा सकते कि वो फौज में सम्मिलित हों क्योंकि जिस पद पर वो हैं वो जिम्मियों का पद हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 8, March 2026 Impact Factor: 8.2

यदि वो अपनी मर्जी व खुशी से फौज में सम्मिलित होते हैं तो उनसे जजिया नहीं लिया जा सकता। जजिया केवल उस नवयुवक पुरुष जिम्मी पर लागू होता हैं जिसका शारीरिक और मानसिक अंग स्वस्थ हो और जिसके पास टैक्स अदा करने का जरिया हैं। जजिया एक कानून का पाबन्द था अर्थात् शास्त्रीय शक्ति के आधार पर देश फतह किया जाता था। तो उस समय या तो वचनबद्ध किया जाता था अथवा उस काल के इमाम को विश्वास दिलाया जाता था कि जिम्मी हर दशा में इस्लामी शासन को वार्षिक रकम वाला जजिया देने का वादा करेगा। वार्षिक टैक्स की रकम डॉ. टोपा ने इस प्रकार लिखा हैं –

1. 48 दिरम—धनवान से वसूल किये जाते थे।
2. 24 दिरम—मध्यम वर्गों के व्यक्तियों से।
3. 12 दिरम—गरीब वर्गों से।

बच्चे, औरतें, असमर्थ बलहीन वृद्ध, वो इंसान जिस पर किसी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी न हो, भिखारी, अन्धे, लूले, पुरोहित (से तात्पर्य उस वर्ग से हैं जो संसार से विरक्त हो गया हो) जजिया नहीं देते थे। अगर लंगडे लूले और पुरोहित धनवान हैं तो उनसे जजिया लिया जाता था। दास वर्ग जजिया से मुक्त था। जजिया या तो रूपया, पैसे में या जीन्स (कोई भी वस्तु) के रूप में लिया जाता था।

इस्लामी कानून की तोड़–मरोड़ जहाँ तक जजिया के अर्थ का सम्बन्ध है इस्लामी विधि–विधान के ज्ञाता (फकीर) फकीहों ने राजनीतिक स्थिति के अन्तर्गत किया। ताकि इस्लामी हुकूमत की राजनीतिक लाभ को और मजबूत किया जा सके और विजित को जहाँ तक हो सके बेजुबान रखकर शासन करें। शोधार्थियों का यह कथन हैं कि इस (कानून के ज्ञाता) फकीह वर्ग ने शब्द जजिया से बहुत अनुचित लाभ उठाया इस्लामी जगत के प्रसिद्ध विद्वान अल गजाली ने कुरान की आयात (29–79) पर जो विभिन्न टीकाकारों ने लिखा हैं उन पर ये लिखा है कि वो जहिलाना गलतफहमियाँ मिथ्या विचार हैं। जिम्मियों की राजनैतिक, धार्मिक नैतिक, पतन हो इस प्रकार के अपमान करने की स्वीकृत इस्लाम के कानून में नहीं हैं, क्रियान्वयन दृष्टि से जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी फकीह वर्ग की हैं।

भारत के मध्यकाल में हिन्दुओं को मुसलमानों की तरह हुकूमत में ही सेवायें तथा नौकरी ही नहीं मिली वरन फौजों में ही भर्ती किये जाते थें। फिरोजशाह से पूर्व इस तथ्य को प्रमाणित करना बहुत कठिन हैं कि हिन्दू प्रजा पर जजिया टैक्स लगाया गया कि नहीं ये शब्द जजिया का प्रयोग उस समय के ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत कम मिलता हैं यदि जजिया का चलन था तो वो इस्लाम के कानून के अनुसार नहीं था क्योंकि कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता कि ये हुकूमत पूर्ण रूप से इस्लामी रंग में रंगी हुई थी। फतुहाते फिरोजशाही से ज्ञात होता हैं कि पूर्व के बादशाहों ने भारत में इस्लामी सिद्धांतों व आज्ञाओं की कोई परवाह न की और न उसपे चलने का प्रयत्न किया। इस्लाम के कानून विचार किये बिना देश पर शासन किया। बादशाह मुसलमान अवश्य थे किन्तु उनकी हुकूमत, दृष्टिकोण, नीति और रीति और कर्म इस्लामी नहीं थे। वो संस्थाओं का समूह थी जिनके द्वारा राजनीतिक क्रियाकलाप होता था। किन्तु ये कहना कि वो शत–प्रतिशत इस्लामी थी ये कहना सत्य नहीं हैं कुछ मुसलमान बादशाहों की ये इच्छा रही कि वो हुकूमत को इस्लामी ढंग से चलाये। किन्तु इस कारण से सफलता प्राप्त नही हुई कि वो स्वयं इस्लामी राजनैतिक मार्ग और कर्म से बहुत दूरी न थे वरन अनभिज्ञ भी थे।वो वास्तव में राजनीतिक शक्तियों की पैदावार थे। भारत के राजनीतिक दशा से उनको सामना करना पड़ा और उसी स्थिति से वो प्रभावित हुए।

मध्य युग में फिरोज तुगलक ही ऐसा प्रथम बादशाह हुआ जिसने अपनी हुकूमत को इस्लामी रंग रंगने का प्रयत्न किया उसके राज्य में जजिया एक इस्लामी कानून के रूप में प्रचलित था। तारीख–फिरोजशाही से हमें जानकारी प्राप्त होती हैं कि

हिन्दुओं और मूर्तिपूजकों ने ये स्वीकार कर लिया था कि वो जिम्मियों के पद स्वीकार करेंगे और वो टैक्स देंगे तथा हुकूमत अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी बिना रोक–टोक उनके धार्मिक विश्वासों रीति–रिवाजो, की स्वतंत्रता देंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। शम्स–सिराज–अफीफ इतिहासकार की पुस्तक तारीख फिरोज शाही के संदर्भ बताते हुए डॉ. टोपा ने लिखा हैं कि ष्जजिया की शरा जो फिरोजशाह के काल में प्रचलित थी ये हैं–

1. 40 तन्का
2. 20 तन्का
3. 10 तन्का

अन्त में चलकर ये शरा दस तन्का और 50 जंदल हो गई।

3. खुम्स – डॉ. टोपा ने खुम्स से संबंधित विस्तारपूर्वक साफतौर पर स्पष्ट करने का सफल प्रयास करते हुए लिखा हैं ष्जो माल गनीमत लड़ाई के जमाना में विजित क्षेत्रों से इस्लामी लश्कर प्राप्त करता हैं उसका 1/5 वा हिस्सा हुकुमत को लेना चाहिए और 4/7 वां भाग सेना में विभाजित होना चाहिए। हिन्दुस्तान के मुसलमान बादशाहों ने इस इस्लामी आज्ञा को कभी भी स्वीकार नही किया और शायद ऐसा कार्य मुसलमान बादशाहों ने भी अपने शासनकाल में भी न अपनाया हो। फिरोज तुगलक ने इस सिद्धांत को देते हुए अपनी पुस्तक फुतूहाते फिरोजशाही में लिखा है कि इस कानून पर अमल नही किया गया और इसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई और भविष्य में माले गनीमत का 1/5 हिस्सा हुकुमत लेगी। डॉ. टोपा ने यह भी लिखा है कि फिरोजशाह को अपने प्रजा की भलाई, हित और कल्याण का बहुत अधिक ध्यान रहता था।

4. जकात–– जकात कर केवल मुसलमानों पर लगाया जाता था। यह प्रतिशत का कर था और इसकी आय कुछ विशिष्ट धार्मिक कार्यो पर व्यय होती थी। उसको धर्म तथा दान के लिये खर्चे किया जाने लगा जो इस कर का वास्तविक उद्देश्य इस्लाम में वर्णित था। जकात यह केवल धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता था।

1. प्रत्यक्ष सम्पत्ति
2. अप्रत्यक्ष सम्पत्ति।

प्रत्यक्ष सम्पत्ति में जानवर तथा कृषि उत्पाद थे। अप्रत्यक्ष सम्पत्तिकृ में सोना, चांदी व व्यापार की वस्तुएं थीं। प्रत्यक्ष सम्पत्ति पर जकात समान्यतः 1᐀40 भाग अथवा 2.5 प्रतिशत के हिसाब से वसूल किया जाता था, जबकि अप्रत्यक्ष सम्पत्ति पर यह कर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था।' प्रजा के कल्याण और हित का कहीं भी वर्णन इस प्रकार से नहीं हो सका जैसा कि उसने एक फरमान के द्वारा 2 करोड़ तन्कों का बकाया (शेष रकम) जो प्रजा की ओर से वसूल की जानी थी समाप्त कर दिया। यह वो रकम थी जो मुहम्मद तुगलक के काल में हुकुमत की ओर से प्रजा को दी गई थी। ताकि वो अपनी जमीने भवन और देहात (गांव) अकाल के काल में खराब और नष्ट हो गये थे वो ठीक कर ले। तो फिरोजशाह ने मंत्रियों और वजीरों से इस समस्या से विचार विमर्श किया और इस परिणाम में पहुंचा यदि ये कर्ज प्रजा से वसूल किया जाय तो उनकी दशा और अधिक खराब हो जायेगी क्योंकि प्रजा में इतनी शक्ति नही रही कि वो कर्ज चुका सकें।

भय इस बात का था बीमारी और अधिक न बढ़ जाये लोगों में अशांति न फैले इसका विचार करके फिरोज ने घोषणा की समस्त वो सरकारी दस्तावेज (रिकॉर्ड) जिनमें प्रजा के कर्जे लिखे हैं जनता के सामने समाप्त कर दिये जाये जनता के मामले में एकाग्रता उत्पन्न करने का ये एक निराला किन्तु मानवीय धर्म की क्रिया–शैली थी जो फिरोज तुगलक की नवीन विचारों को स्पष्ट करती हैं। इससे उसका अभिप्राय प्रजा को सुखी और प्रसन्न रखना था। और शांति की नींद सो सके। इसके कार्य से

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 8, March 2026 Impact Factor: 8.2

जनता को सुख और शांति प्राप्त हुई और वो एहसान और कृतज्ञता में लीन हो गई। इस प्रकार फिरोज तुगलक की दान प्रवृत्ति और उसके मानवता की जानकारी जमीन और लगान की समस्या से होता है। लगान की समस्या सदैव से एक उलझन और ग्रंथि का रूप धारण किये रही क्योंकि भारत की वास्तविक समस्या धरती और उसका लगान हैं जो इस समस्या का निराकरण करेंगे वही भारत की हित और भलाई करेगा। फिरोजशाह ने इस समस्या को एक गहरी सहानुभूति पूर्वक और राजनीतिक दृष्टि से देखा क्योंकि जनता हुकूमत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं इस चिंतन का परिणाम यह हुआ कि फिरोज ने वो बुद्धिमत्ता से दूर होने वाले कायदे–कानून और सिद्धांत जो पिछले काल से चले आ रहे थे जिनके कारण प्रजा को परेशानी मुसीबत और दिक्कत का सामना करना पड़ता था वो एकदम समाप्त कर दी। जो डर और शरय (मूल्य) मानी गई वो धरती की पैदावार (उपज) के क्रम को देखते हुए और प्रजा की अदा करने की योग्यता और शक्ति का विचार रखते हुए कर निर्धारित किया गया। इस प्रकार फिरोजशाही काल में प्रत्येक अनुचित महसूल और टैक्स समाप्त कर दिये गये।

fu"d"k &

इस सम्बन्ध में नये कानून लागू किये गए ताकि उपज और उन्नति हो प्रजा की खुशहाली बढ़े। प्रजा के हित के अन्तर्गत ये स्वीकार किया गया कि निर्धारित सरकारी कर से अधिक लेना नियम विरुद्ध माना गया। इस प्रकार फिरोज का शासन न्याय और कल्याणकारी सिद्धांतों पर आधारित था। आदेशों का क्रियान्वयन ऐसा किया गया कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नही था कि वो अत्याचार और हिंसा कर सके और दूसरे के मार्ग में रुकावट बन सकें। समस्त देश में शांति और सुरक्षा के साथ मानव जीवन व्यतीत करने लगे।

lUnHk xzUFk lph

1. डॉ. ईष्वर टोपा, हिन्दी पुस्तक मुसलमान हुक्मरानो के सियासी बसूल के इतिहास में फिरोज शाही दौर, प्रकाषन मुस्लिम एजुकेषनल प्रेस अलीगढ, 1962 प्रथम संस्करण पृष्ठ 77
2. एस.के. पाण्डेय पृष्ठ 316